न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 264/2018/225 आर टी ए

सरजीतसिंह उर्फ जीतसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ प्र0सं0 08/2018 बअनवानी जसविन्द्रसिंह आदि बनाम सरजीतसिंह

उपस्थित :–

श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः–07.09.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अप्रार्थी अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत करते हुए तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पो0 का आवागमन कभी भी अप्रार्थी की भूमि से नही रहा और ना ही मौका पर कोई रास्ता चालू है और ना ही पूर्व मे कभी चालू रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होने अप्रार्थी को बिना सूचना मौका रिपोर्ट पेश कर दी। जिसका ज्ञान होने पर अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पुनः रिपोर्ट अप्रार्थी की उपस्थिति मे मंगवाई जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प झाम्बर मे दिनांक 28.06.2018 को मौका निरीक्षण कर

निर्णय करने का आदेश दिया परन्तु दिनांक 28.06.2018 राजस्व कैम्प स्थगित होने के कारण दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर को साथ लेकर मौका निरीक्षण किया परन्तु उस जगह का मौका निरीक्षण नही किया जिस रास्ता से प्रार्थीगण रेस्पो0 आवागमन कर रहे थे। इसके बावजूद भी दिनांक 30.06.2018 मौका निरीक्षण करने के उपरांत भी लगभग 17–18 दिन बाद रिपोर्ट अपीलांट को सूचित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के तथ्यो को सुने बिना ही उक्त पत्रावली का निर्णय करते हुए अपीलांट भूमि मे रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट किया जा चुका था कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के लिए अपीलांट ने कभी भी अपनी कृषि भूमि के कि.न. 11, 20, 21 मे प्रवेश नही करने दिया और ना ही वहां पूर्व मे अथवा मौजूदा सूरत मे कभी रास्ता चला और ना ही अपीलांट की भूमि मे चाहा जा रहा रास्ता उनके लिए उपयुक्त है। रेस्पो0 गांव झाम्बर से स्वीकृत रास्ता से होते हुए प.न. 162/300 व प.न. 161/300 प्रत्येक के कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत व चालू रास्ता से होकर प.न. 161/300 कि.न. 3, 8, 13 मे से होकर अपनी भूमि मे आवागमन कर रहे है और अपनी भूमि काश्त करते है। यह भूमि रेस्पो0 के परिवार वालो की है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 आरम्भ से ही इसी रास्ता से अपनी भूमि मे आवागमन कर रहे है और यही रास्ता ग्राम झाम्बर से उनकी भूमि को जाने के लिए सुलभ और नजदीक है मात्र 8 बीघा दूरी पर है। जबकि अपीलांट की भूमि से रास्ता स्वीकृत होने पर रेस्पो0 को चार मुरब्बा दूरी तय करनी होगी और वह रास्ता दूर है और सुलभ भी नही है। तहसीलदार द्वारा पूर्व रिपोर्ट दिये जाने के उपरांत अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस बाबत दिया गया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से मिलकर अपीलांट को सूचित किये बिना और उसकी अनुपस्थिति मे गलत रिपोर्ट पेश की है और अपीलांट की भूमि कभी भी कोई रास्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 को अपीलांट द्वारा नही दिया गया और ना ही मौका पर कोई रास्ता चालू है।

4. रेस्पो0 गांव झाम्बर से होकर स्वीकृतशुदा रास्ता प.न. 162/300 कि.न. 3, 8, 13 मे आरम्भ से ही आवागमन कर रहे है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के रीबटल मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पो0 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को विधिक रूप से कोई गौर नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पुनः उक्त पत्रावली मे स्वयं मौका निरीक्षण कर निर्णय करने का आदेश देने के बावजूद भी पूर्व की तरह से तहसीलदार की मार्फत पटवारी हल्का व गिरदावर से रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए निर्णय पारित किया गया है जबकि उनके द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत रिपोर्ट की ही पुनरावर्ती की गई है। चूंकि उनके द्वारा वास्तविक भौतिक रिपोर्ट दी जानी सम्भव भी ही नही थी, जबकि अपीलांट के पुत्र द्वारा तहसीलदार से बार–बार निवेदन किया गया कि जिस रास्ता से रेस्पो0 आवागमन कर रहे है उसका भी निरीक्षण किया जावे परन्तु उन्होने कोई गौर नही किया और अपीलांट के पुत्र को मुगालते मे रखते हुए उसके हस्ताक्षर करवा लिये और अधूरी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पूर्व रिपोर्ट की पुनरावर्ती करते हुए प्रस्तुत कर दी। इसके बाद भी अपीलांट ने दिनांक 19.07.2018 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट को गलत बतलाया और सही तथ्यों को बतलाया जिसके रीबटल मे भी रेस्पो0 ने कोई शपथ पत्र अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही की। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय किये जाने मे कानूनी भूल की है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 अपीलांट की भूमि मे से जबरन रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु बजिद है जबकि उन्हे अपनी भूमि मे आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता है जिससे वे आवागमन कर रहे है और विचारण न्यायालय के समक्ष ये तमाम तथ्य पत्रावली पर थे परन्तु विचारण न्यायालय ने उन पर गौर किये बिना और सम्यक रूप से अपने निर्णय मे विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प.न. 161/292 मु.न. 16 के कि.न. 6, 7, 8 की कुल 0.759 है0 है। उक्त भूमि के चिपते ही अपीलांट के नाम से चक 7 एसएसडब्ल्यू मे 4.491 है0 भूमि है उक्त भूमि के प.न. 161/392 मु.न. 16 के कि.न. 3, 4, 5 मे दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृतशुदा है व रेस्पो0 उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर प.न. 161/392 के मु.न. 16 के कि.न. 5 मे उतर से दक्षिण दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। न्याय आपके द्वार कैम्प दिनांक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया जिस पर दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा प.न. 161/292 मु.न. 16 कि.न. 3, 8 के पश्चिम दिशा व कि.न. 8 मे दक्षिण दिशा अर्थात तीन बीघा जो रास्ता देने सहमति प्रदान की गई जिससे यह साबित हो जाता है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 को अपनी खातेदारी भूमि के लिए कोई रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित नही मानते हुए प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये अप्रार्थी/अपीलांट की भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प.न. 161/392 के मु.न. 16 के कि.न. 5 मे उतर से दक्षिण दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। न्याय आपके द्वार कैम्प दिनांक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिया गया जिस पर दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन आदेश के संबंध मे अपीलांटस का मुख्य तर्क यह है कि " रेस्पो0 गांव झाम्बर से स्वीकृत रास्ता से होते हुए प.न. 162/300 व प.न. 161/300 प्रत्येक के कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत व चालू रास्ता से होकर प.न. 161/300 कि.न. 3, 8, 13 मे से होकर अपनी भूमि मे आवागमन कर रहे है और अपनी भूमि काश्त करते है। यह भूमि रेस्पो0 के परिवार वालो की है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 आरम्भ से ही इसी रास्ता से अपनी भूमि मे आवागमन कर रहे है रेस्पो0 के रकबा के लिये सबसे छोटा व सुगम रास्ता यही है। रेस्पो0 की भूमि पूर्व मे संयुक्त खाता मे थी व उसी मे रास्ता स्वीकृत किया जावे जिसके संबंध मे अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जमाबंदी चक 7 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 117/112, खाता सं. 107/97, खाता सं. 126/25, खाता सं. 112/54, 44/54, जमाबंदी चक 10 केएसपी के खाता सं. 119/105, 99/87, चक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 67/64 आदि प्रस्तुत किये। परन्तु उक्त दस्तावेजात से वादग्रस्त भूमि के संबंध मे बंटवारा/विभाजन होना सिद्ध नही हो रहा है। इसके अतिरिक्त संयुक्त खाता की भूमि बाबत बंटवारा/विभाजन होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने के कारण अधिवक्ता अपीलांट के तर्क मानने योग्य नही है। तहसीलदार की रास्ते बाबत मौका निरीक्षण रिपोर्ट मय नक्शा के अनुसार रेस्पो0 को अपनी भूमि मे जाने हेतु कोई रास्ता नही है एवं रास्ता दिया जाना उचित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तथा प्रकरण मे तहसीलदार स्वयं द्वारा किये गये मौके निरीक्षण से यह साबित होता है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रकरण मे पूर्व मे तहसीलदार से रास्ता के संबंध मे मौका रिपोर्ट मंगवाई उसके पश्चात कैम्प कोर्ट अभियान के दौरान पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई गई तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश से उचित रास्ता स्वीकृत किया है।

7. हस्तगत प्रकरण मे रास्ता भूमि के बदले जमीन दी जाने संभव है तथा जहां तक रास्ता की जगह मे फसल काश्त, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि होने का प्रश्न है तो रास्ता राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 2012 के नियम 70 (2) के प्रावधानो के अनुसार रास्ता मे प्रयुक्त होने वाली भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त स्वीकृत किये गये रास्ते मे फसल या पेड़ आदि को हटाने के कारण होने वाले वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप मे मुआवजा की राशि का निर्धारण कर रास्ते की भूमि के खातेदार को दिलाया जाना आज्ञापक है। प्रस्तुत प्रकरण मे रास्ते मे प्रयुक्त भूमि क्षेत्र के मुआवजे के संबंध मे बराबर क्षेत्र की भूमि दिया जाना संभव होने की स्थिति मे चिपती हुई भूमि दिये जाने के आदेश किया है एवं फसल काश्त, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि के मुआवजे संबंधी कोई आदेश नही किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश मे वर्णित मुआवजा संबधी आदेश मे संशोधन करते हुए रास्ता भूमि के ऐवज मे चिपती हुई भूमि आवेदक/रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा दिये जाने के साथ साथ रास्ता भूमि के मध्य मे स्थित फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि को हटाने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु खेजडी के पेड़ो की कीमत का भुगतान तहसीलदार के माध्यम से किये जाने के आदेश दिये जाने उचित होने के कारण फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नक्का आदि की कीमत का निर्धारण तहसीलदार एवं वन विभाग के रेंजर के स्तर के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि का निरीक्षण कर कीमत निर्धारण कर कीमत राशि अपीलांट को दिलवाई जाने उचित है। निर्णय की प्रति तहसीलदार को फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि की कीमत का भुगतान करने हेतु प्रेषित की जावें।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2018 मे वर्णित मुआवजा संबधी आदेश मे संशोधन करते हुए रास्ता भूमि के ऐवज मे चिपती हुई भूमि आवेदक/रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपीलांट को दिये जाने के साथ साथ रास्ता भूमि के मध्य मे फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना को हटाने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना की कीमत का भुगतान तहसीलदार के माध्यम से किये जाने के आदेश दिये जाते है। फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना की कीमत का निर्धारण तहसीलदार एवं वन विभाग के रेंजर के स्तर के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना का निरीक्षण आज दिनांक से 15 दिवस की अवधि मे करते हुए कीमत निर्धारण कर कीमत राशि अपीलांट को दिलवाई जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को फसल, खेजडी के 8–10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना की कीमत का भुगतान उक्त वर्णित अनुसार करने हेतु प्रेषित की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2018 मे वर्णित केवल मुआवजे संबंधी संशोधन करते हुए शेष यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official